

10/12/19

पत्रपत्ती पेरार्डर) अधिवक्ता पार्सो द्वारा प्राप्ति पत्र
प्राप्त कर विवेक किया कि उक्त पत्र में वर्णित
आरजीपार से सम्बंधित दुसरी धोखाधड़ डिडी
से लोग सम्बंधित हैं। यह पत्र करने के लिए जो
सुरक्षित करते हुए प्राप्ति पत्र को विधि योग्य
पुस्तक / प्राप्ति पत्र का अपलोडन किया जा
पुस्तक में वर्णित आरजीपार में खातेदार हस्त
नहीं है जिससे प्राप्त प्राप्ति पत्र 136 LRAV
चलने योग्य नहीं है।

अतः उक्त ~~पत्र~~ शी स्तर पर प्राप्ति
पत्र को स्विकृत किया जाता है। पत्रपत्ती में उपलब्ध
वाक्य नकले पार्सो के लोडर जावे। पत्रपत्ती
के तल नुमांर हीउर नम्बर से कम है।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (बीलवाड)

